Dilli Swarojgar Yojna

Under this scheme, the DSFDC is providing, need based loan, up to Rs.5.00 Lakhs @ 6% p.a. for various income generating activities as follows:-

1. Vegetable/Fruit/Flowers' shop.
2. Bakery items/confectionery items.
3. Kiryana/General Store.
4. Dairy Products.
5. Stationery/Books/Gifts/Book Binding.
6. Photostat/Fax/STD/PCO.
7. Cyber Café/Cell Phone Booths.
8. LPG Booking Office/Showroom without LPG Cylinders.
9. Atta Chakki.
10. Meat/Poultry and Fish Shop.
11. Pan Shop.
12. Barber Shop/Hair Dressing Saloon/Beauty Parlour.
13. Laundary/Dry Cleaner/Ironing.
14. Sweet Shop/Tea Stall without sitting arrangements.
15. Chemist Shop.
16. Tailoring Shop.
17. Optical Shop.
18. Electrical/Electronic Repair Shop.
19. Photo Studio.
20. Cable TV/DTH Operations.
21. Hosiery/Readymade Garments/Cloth Shop.
22. ATM.
23. Ration Shop under Public Distribution System of NCT of Delhi/Cycle Repair Shop.
24. Any non- polluting permissible manufacturing activity in Industrial/Commercial/mixed land use residential are defined under Master Plan.
25. Purchase of Three Wheeler/Taxis.
26. Any other activity found suitable and approved by the Principal Secretary (SC/ST/OBC/Minority).

<u>Target Groups:</u>

(a) Scheduled Caste
(b) Scheduled Tribe
(c) Other Backward classes
(d) Minorities

<u>Eligibility Criteria:</u>

i) The applicant must be a resident of Delhi for last five years.
ii) The applicant's age should be between 18 to 50 years.
iii) The annual family income of the applicant, from all sources, should not exceed Rs.2.00 Lakh.

iv) The applicant must have proper work place for starting the proposed activity either owned by the applicant or his/her relative or rented.

v) The applicant should not have been declared defaulter under any of the schemes being implemented by DSFDC.

vi) The applicant should have passed minimum class VIII exam.

vii) The applicant should have technical qualification for the proposed activity. However, this will not apply to the traditional artisans or entrepreneurs already engaged in the activity for which loan is applied, for the past three years at least

Documents required:

(A) Pre Sanction/With Application:

1. Duly filled loan application form of Dilli Swarojgar Yojna, available in the three Branch Offices (Rajpur Road, Mangolpuri, Nand Nagri) and HQ at Rohini. It can also be downloaded from the official Website (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) of the Corporation. The cost of form is Rs.100/-.
2. Copy of Aadhar Card of applicant as proof of identity and residence.
3. Caste certificate issued by Govt. of Delhi. In case of minority, affidavit declaring that applicant belongs to a notified minority community.
4. Age proof in the form of Birth Certificate/School leaving certificate/Affidavit declaring date of birth/age.
5. Education qualification proof.
6. Technical qualification proof or Valid Driving Licence (LMV) & Badge, in case of loan for commercial vehicle
7. Income certificate of applicant issued by SDM concerned or affidavit declaring income in the prescribed format available at official Website (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) Branch offices (Rajpur Road, Mangolpuri, Nand Nagri/HQ at Rohini.
8. Five passport size photographs of the applicant.
9. Affidavit regarding non availing of loan from any financial institution/Government Organization in the prescribed format available at official Website (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) Branch offices (Rajpur Road, Mangolpuri, Nand Nagri/HQ at Rohini.
10. Ownership proof of work place i.e. Electricity Bill/Water Bill/Telephone Bill (landline of MTNL)
11. ID proof of the owner of the work place.
12. Rent agreement or No Objection Certificate, in case, the work place is owned by close relative, on a non judicial stamp paper of Rs.10/-.
13. Detailed project report indicating the profitability of next five years
14. Guarantor undertaking or copy of document of immovable property with complete chain or collateral security in the shape of FDR/NSC/KVP etc.
15. Demand draft of Rs.500/- towards the processing fee in favour of “DSFDC”
16. Copy of insurance under Prime Minister Suraksha Bima Yojna and Pardhanmantri Jeewan Jyoti Bima Yojna.

(B) Post Sanction:

1. ECS mandate in the prescribed format, towards repayment of loan, along with 05 blank CTS post dated cheques in favour of DSFDC and one blank cancelled cheque for making payment through RTGS.
2. Five blank post dated cheques of guarantor are also required, if loan amount is above Rs.2.00 lakh.
3. Guarantee of one regular government /PSU's Autonomous Bodies/Local Bodies employee posted in Delhi or National Capital Region, who have at least six years remaining length of service to meet out EMI in case of default by the applicant. In case of collateral security, the original documents of immovable property with complete chain of documents or FDR/NSC or KVP, as the case may be, having minimum face value of 75% of the loan amount. In case of FDR/NSC/KVP, the Lien letter of the appropriate authority is also required.
4. Original pay slip of guarantor
5. Copy of Identity Card of guarantor.
6. Aadhar Card of guarantor as proof of residence.
7. Date of birth proof of guarantor.
8. Affidavit of guarantor, in the prescribed format.
9. Five photographs of guarantor.
10. Affidavit of personal guarantee as per specimen
11. Affidavit of legal heir of applicant, as per specimen, along with ID proof of legal heir and 01 photograph of legal heir.
12. The applicant is require to bring two eye witnesses along with their residence proof i.e. Aadhar Card.
13. Acceptance of loan agreement/sanction letter
14. Group photograph of applicant, guarantor, Branch Incharge, Dealing Asstt. and two witnesses.

दिल्ली स्वरोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत डीएसएफडीसी द्वारा इच्छुक लाभार्थियों आवश्यकतानुसार अधिकतम 5.00 लाख रूपये तक का ऋण 6% वार्निक ब्याज दर पर निम्न आय जन्य गतिविधियों में कार्य करने हेतु ऋण उपलब्ध कराता है ।

1. सब्जी/फल/फूल की दुकान ।
2. बेकरी वस्तुएं / कनफेक्शनरी वस्तुएं ।
3. किरयाना स्टोर / जनरल स्टोर ।
4. दुग्ध उत्पादन ।
5. स्टेशनरी / किताबें / गिफ्ट / बुक बाईडिंग ।
6. फोटोस्टेट/ फैक्स/ एसटीडी/ पीसीओ ।
7. साईबर कैफे / सैल फोन बूथ ।
8. एलपीजी बुकिंग ऑफिस/ बिना एलपीजी सिलेण्डर के शोरूम ।
9. आटा चक्की ।
10. मीट/पाल्ट्री तथा फिश शॉप ।
11. पान की दुकान ।
12. नाई की दुकान / ब्यूटी पार्लर ।
13. लॉन्ड्री / ड्राईक्लीन / इस्त्री ।
14. मिठाई दुकान / चाय दुकाना बिना बैठक व्यवस्था के ।
15. दवाई की दुकान ।
16. दर्जी की दुकान ।
17. चश्में की दुकान ।
18. इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप
19. फोटो स्टूडियों ।
20. केबल टीवी / डीटीएच ऑपरेशन्स
21. हौजरी / रेडीमेड गारमेन्ट / कपडें की दुकान
22. एटीएम
23. दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत राशन की दुकान /साईकिल रिपेयर की दुकान ।
24. मास्टर प्लान में अनुमोदिन रिहायशी एवं व्यवसायिक मिश्रित उपयोग की भूमि में कोई भी प्रदू-ाण मुक्त आधोगिक निर्माण गतिविधियाँ ।
25. तिपहिया वाहन एवं टैक्सी खरीदने के लिए ।
26. ऐसी कोई भी उपयुक्त अन्य गतिविधि जो प्रधान सचवि (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्प) , दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित ।

लक्षित समूह

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
4. अल्पसंख्यक समुदाय

पात्रताएं

i) आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए ।
ii) आवेदक की आयु 18 से 50 वर्न्ा के बीच होनी चाहिए ।
iii) आवेदक की सभी स्रोत्रो से वार्निक पारिवारिक आय 2.00 लाख से अधिक ना हो ।
iv) आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अपना/रिश्तेदार अथवा किराये का उपयुक्त कार्यस्थल होना चाहिए ।
v) आवेदक डीएसएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना में डिफाल्टर घोनित ना हो ।
vi) आवेदक कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
vii) आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए परन्तु जो लाभार्थी पिछले तीन वर्नो से परम्परागत कारीगरी या प्रस्तावित कार्य में कार्य कर रहे है।

आवश्यक दस्तावेज
(क) ऋण स्वीकृति पूर्व/आवेदन पत्र के साथ

1. दिल्ली स्वरोजगार योजना में आवेदन पत्र इस निगम कार्यालय की तीनों शाखा कार्यालय (राजपुर रोड़, मंगोल पुरी, नन्द नगरी) तथा मुख्य कार्यालय (रोहिणी) में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/ doit_dsfdc/DSFDC/Home/) से डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन पत्र शुल्क 100/- रूपये है ।

2. निवास प्रमाण और पहचान हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है ।
3. दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण अथवा यदि आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से है तो शपथ पत्र ।
4. आयु प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. शैक्षिक प्रमाण पत्र ।
6. तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र या यदि व्यवसायिक वाहन हेतु ऋण चाहिए तो वैद्य

व्यवसायिक लाईसेंस एवं बैज ।

7. संबंधित एसडीएम द्वारा जारी आवेदक का आय प्रमाण पत्र या इस निगम की वेबसाईट वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/ doit_dsfdc/DSFDC/Home/) या निगम तीनो शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड़, मंगोल पुरी, नन्द नगरी/ मुख्यालय रोहिणी) में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आय का शपथ पत्र ।

8. आवेदक की 05 पासपोर्ट साईज फोटो ।

9. इस आश्य का शपथ पत्र की किसी वित्तीय संस्थान एवं सरकारी सगंठन से ऋण ना लिया हो । शपथ पत्र का प्रारूप इस निगम की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/ doit_dsfdc/DSFDC/Home/) या निगम तीनो शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड़, मंगोल पुरी, नन्द नगरी/ मुख्यालय रोहिणी) में उपलब्ध है ।

10. कार्यस्थल के मालिकाना प्रमाण सबूत हेतु भुगतान किया हुआ बिजली बिल/पानी बिल/दूरभा-न बिल (एमटीएनएल) प्रस्तुत करना होगा ।

11. कार्यस्थल के मालिक का पहचान पत्र (सबूत) की प्रति ।

12. यदि प्रस्तावित कार्यस्थल किराये का है तो किराया अनुबन्ध या आवेदक के रिश्तेदार का है तो मालिक का 10/- रूपये के स्टेम्प पेपर पर नौटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)। (पारिवारिक)

13. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें अगले पाँच साल का लाभ-हानि का विवरण हो ।

14. गारन्टर की अंडरटेकिंग या अचल सम्पति के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ या कॉलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति

15 डीएसएफडीसी के पक्ष में 500/- रूपये की प्रक्रिया शुल्क हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट ।

16 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की बीमा प्रति ।

(ख) ऋण स्वीकृति पश्चात

1 ऋण भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र में इसीएस पत्र, 05 सीटीएस पोस्टडेटिड चैक डीएसएफडीसी के पक्ष में प्रस्तुत करने होगें तथा एक रद्द अंकित चैक ऋण भुगतान हेतु आरटीजीएस हेतु देना होगा ।

2 यदि स्वीकृत ऋण राशि 2.00 लाख रूपये से अधिक है तो गारन्टर के 05 रिक्त चैक जमा कराने होगें ।

व्यक्तिगत गारण्टी का शपथ पत्र ।

3 एक स्थायी गारण्टर जो सरकारी/पीएसयू/अर्द्व-सरकारी/स्थानीय निकाय में दिल्ली एवं रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत हो तथा जिसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 व-र्ग शे-न हो क्योंकि यदि लाभार्थी द्वारा किस्त समय पर जमा ना कराई जाए तो उसकी पूर्ति की जा सके । यदि कॉलेट्रल सिक्योरिटी की जाती है तो अचल सम्पति के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ या स्वीकृत ऋण के 75 % की फेस वेल्यू के अनुसार एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा डीएसएफडीसी के नाम लियन पत्र के साथ ।

4. गारन्टर की मूल वेतनपर्ची ।
5. गारन्टर का कार्यालय पहचान पत्र प्रति ।
6. गारन्टर का निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड ।
7. गारन्टर का आयु प्रमाण पत्र ।
8. निर्धारित प्रपत्र में गारन्टर का शपथ पत्र ।
9. गारन्टर की पाँच पासपोर्ट साईज फोटो ।
10. निर्धारित प्रपत्र के साथ व्यक्तिगत गारन्टी का शपथ पत्र ।
11. निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदक के वारिस का शपथ पत्र उसके पहचान पत्र तथा फोटो के साथ ।
12. लाभार्थी को दो गवाह (आई विटनस) उनके निवास प्रमाण हेतु आधार कार्ड के साथ ।
13. अनुबन्ध् पत्र / ऋण स्वीकृति पत्र के अन्तर्गत शर्तो की स्वीकार्यता पत्र ।
14. आवेदक, जमानती, दो गवाहों, शाखा प्रभारी तथा संबंधित लिपिक सहित सामूहिक फोटोग्राफ ।